भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1421
दिनांक 28 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवा कंपनियों के लाइसेंस को निरस्त करना

1421. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कुछ कंपनियों को घटिया गुणवत्ता की दवाओं के कारण उनके विनिर्माण को बंद करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने 76 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया था और उनमें से 26 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कुछ दवा कंपनियों को चेतावनी दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सूचित किया है कि देश में औषधि विनिर्माण परिसरों के विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)** ने राज्य औषधि नियंत्रक (एसडीसी) के साथ 137 परिसरों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया है और निष्कर्षों के आधार पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा औषधि नियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन बंद करने संबंधी आदेश जारी करने, निलंबन, लाइसेंस/उत्पाद लाइसेंस रद्द करने आदि जैसी कार्रवाई की गई है।

(ङ) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सूचित किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अक्टूबर 2022 और जुलाई, 2023 के बीच 6 भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्मों के संदर्भ में अलर्ट जारी किए हैं।

*****